कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

//विविध आदेश//

क्र. 62/एक–15–7/15/एस.डब्ल्यू/2020 बुरहानपुर, दिनांक–**08.06.2021**

बुरहानपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कम होते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर के कोरोना जन अनुशासन आदेश क्र. क/न्या. लि./2021/3021 बुरहानपुर दि. 31.05.2021 की निरंतरता में जारी आदेश द्वारा आवश्यक कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक छूट प्रदान की गयी है तथा आवाजाही को कुछ निर्बधंनों के अधीन प्रारंभ किया जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी एस.ओ.पी क्रमांक ए/113, दिनांक 15.01.2021, अतिरिक्त एस.ओ.पी क्र. ए/1149 दिनांक 03.04.2021, एवं अधीनस्थ न्यायालय हेतु जारी अति. एस.ओ.पी. दिनांक 20.04.2021 के पालन में जिला न्यायालय बुरहानपुर के समस्त न्यायालयों (तहसील न्यायालय नेपानगर सहित) की कार्यवाहियों को भी कुछ निर्बधंनों के अधीन प्रारंभ किया जा रहा है।

अतः **दिनांक 08.06.2021 से दिनांक 16.06.2021 तक या आगामी आदेश तक** की अवधि के लिए न्यायालयीन कार्यवाहियों के लिए **यह विविध आदेश** पूर्व में जारी विविध आदेश क्र. 61/एक–15–7/एस.डब्ल्यू./2020 दि. 04.06.2021 की कण्डिका क्र. 04 के बाद कण्डिका **05** लगायत **17** के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

05. इस न्यायिक जिला स्थापना (तहसील न्यायालय नेपानगर सहित) न्यायालयीन एवं कार्यालयीन समयावधि मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट रूल्स 1961 के नियम 5 अनुसार फुलटाईम किया जाता है, सभी न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगण कार्यालयीन समय 10:30 बजे से 05:30 बजे तक अपने कार्य का निष्पादन आगामी आदेश तक करेंगे।

06. उक्त अवधि में निम्न कार्यो/प्रकरणों में विधिवत् सुनवाई की जा सकेगी।

ए– अत्यावश्यक प्रकृति के मामले (यथा जमानत, सुपुर्दगीनामा, धारा 164 के कथन, रिमाण्ड, अंतिम प्रतिवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो न्यायालय के मत में त्वरित सुनवाई योग्य हों)

बी– सिविल अपील

सी– क्रिमिनल अपील एवं क्रिमिनल रिविजन

डी– अंतिम तर्क हेतु नियत समस्त मामलें

ई– साक्ष्य हेतु नियत ऐसे मामले जो **विचाराधीन बंदियों से संबंधित** है तथा ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा **नियत समयावधि में निराकृत किये जाने बाबत् निर्देश दिये गये हैं।**

न्यायिक अधिकारी निम्न प्रकृति के प्रकरणों को वरीयता के आधार पर सुनवाई हेतु नियत करेंगे। एक दिन में सुनवाई जिनमें अंतिम तर्क/तर्क हेतु मामलें आएगें, की संख्या जिला न्यायालयों में 15 एवं सिविल/मजिस्ट्रेट न्यायालयों में 20 से अधिक नहीं होगी।

07. उक्त मामलों की सुनवाई केवल विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जावेगी। आवश्यक कार्य निष्पादित कर रहे न्यायाधीश विवेकानुसार अपवादित स्थिति में कोविड–19 के दिशा निर्देशों के अधीन भौतिक सुनवाई कर सकेगें।

08. प्रत्येक न्यायालय उनके प्रकरणों के संबंध में स्वयं तिथि निर्धारित कर सकेंगे।

09. अन्य कार्यवाहियों हेतु नियत प्रकरणों में अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक न होगी जब तक की न्यायालय निर्देशित न करें।

10. जहां कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से आगामी आदेश तक पक्षकार/गवाह/अधिवक्ता के हस्ताक्षर ऑर्डरशीट पर नहीं लिये जावेंगे, (जब तक कि विधि द्वारा अपेक्षित न हो) पक्षकारों/गवाह/अधिवक्ता की उपस्थिति ऑर्डरशीट पर दर्ज की जावेगी।

निरंतर...

11. समन्स की तामीली के संबंध में तामीली के सामान्य तरीके के अतिरिक्त सी.आई.एस. 3.2 में उपलब्ध सुविधा द्वारा मैसेज के माध्यम से भी समन्स तामीली की जा सकेगी।

12. न्यायालय परिसर में उन्हीं अधिवक्तागण/पक्षकारगण के प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके प्रकरणों में कार्यवाही होना नियत है।

13. समस्त निर्णय/आदेश को सी.आई.एस. में अपलोड किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अवकाश में रहने वाले न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत त्वरित सुनवाई आवेदनपत्रों का पंजीयन एवं उक्त आवेदनपत्रों को कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार नामित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना एवं आवेदन के निराकरण के पश्चात् आदेश को सी.आई.एस. में उसी दिन अपलोड किया जाना भी उपस्थिति कर्मचारीगण द्वारा आपसी तालमेल से किया जावेगा। कार्य में उपेक्षा या लापरवाही होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।

14. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर अवकाश पर जाते हैं, तो लौटने पर उन्हें सर्दी, जुकाम बुखार आदि से पीड़ित होने पर अस्वस्थ होने की स्थिति में RT-PCR टेस्ट कराया जाना आवश्यक होगा तथा यदि वे किसी शादी समारोह में अथवा मृत्यु भोज में इत्यादि में सम्मिलित होते हैं, तो इस संबंध में वे कार्यालय को सूचित करें तथा अपनी RT-PCR जांच करावेंगे।

15. प्रत्येक न्यायालय आगामी कार्य दिवस में नियत प्रकरणों की सूची (कॉज लिस्ट) न्यायालय के बाहर एक दिन पूर्व चस्पा करेंगे एवं उसी सूची (कॉज लिस्ट) अनुसार प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी।

16. अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदनपत्रों को न्यायालय की आधिकारिक **ई–मेल आई.डी. dcourtbur@mp.gov.in** से प्रस्तुत किया जावेगें, समस्त आरक्षी केन्द्र भी केश डायरी को न्यायालय की आधिकारिक **ई–मेल आई.डी.** पर प्रेषित करेंगे। **व्हाट्सएप से आवेदन/केसडायरी स्वीकार्य योग्य नहीं** रहेगे। अपरिहार्य कारणों एवं अपवादित स्थित में ही न्यायालय के फाईलिंग काउण्टर में आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आवेदन प्रस्तुति में कोविड–19 के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावेगा। अधिवक्तागण द्वारा तर्क हेतु जिट्सी मीट (jitsi meet) एप का प्रयोग किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रदान की गई लिंक का प्रयोग कर एप डाउनलोड कर दी गई कोर्ट की लिंक के माध्यम से तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे। किसी प्रकार की समस्या आने पर जूनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री राजेश कुमार नागले के मोबाईल नंबर **83495 83386** पर संपर्क कर सकेगें।

सही/–

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

बुरहानपुर

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

पृ. क्र.706/एक–15–7/15/एस.डब्ल्यू/2020 बुरहानपुर, दि. 08.06.2021

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) समस्त न्यायालय एवं अनुभाग तथा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर/तहसील न्यायालय नेपानगर, बुरहानपुर

(3) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

(4) तदर्थ समिति, अधिवक्ता, बुरहानपुर

(5) लोक अभियोजक/जिला अभियोजन कार्यालय बुरहानपुर

(6) जिला दंडाधिकारी बुरहानपुर

(7) पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करें कि वे निर्धारित समय में ही केस डायरी/रिमाण्ड आदि प्रस्तुत करें।

(8) आयुक्त, नगर निगम बुरहानपुर की ओर ड्यूटी दिवसों में संबंधित न्यायालय कक्षों में सेनेटाईजेशन का कार्य किये जाने हेतु प्रेषित।

(9) सी.एम.ओ, जिला चिकित्सालय, बुरहानपुर

(10) जेल अधीक्षक, जिला जेल खंडवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(11) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, समस्त संबंधितों को उनकी ई–मेल आई.डी./व्हाटसअप के माध्यम से सूचित करें।

(12) स्टेनो, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर

(13) लेखापाल/ऑफिस मोहर्रिर, कार्यालय अनुभाग, बुरहानपुर

(13) जिला नाजिर की ओर 03 प्रतियां, विभिन्न सूचना–पटल पर चस्पा करने हेतु एवं समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संसूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।

8/6/2021

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर